वर्ष 2 अंक 2 फरवरी 1980 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

आगे क्या करना है

बी. टी. रणदिवे

संसदीय चुनावों से दो परस्पर विरोधी तथ्य सामने आए हैं. एक ओर कांग्रेस(इ) ने 352 सीटें लेकर एक भारी विजय प्राप्त की और दूसरी ओर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल में जहां इसका मुकाबला वामपंथी ताकतों—वामपंथी व प्रजातांत्रिक ताकतों के संगठन से था कांग्रेस(इ) को मुंह की खानी पड़ी.

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में कांग्रेस(इ) को जड़ से उखाड़ फेंका गया. इन दोनों राज्यों में इसने 43 में से सिर्फ 4 स्थान प्राप्त किए. केरल में इस पार्टी को 20 में से केवल 5 स्थानों से ही संतुष्ट रहना पड़ा जबकि इसके और इसकी सहयोगी पार्टियों को कुल मिलाकर 8 स्थान मिले.

जनवरी 21 को हुए केरल विधान-सभा चुनावों में कांग्रेस (इ) को दोबारा एक भारी शिकस्त मिली. कुल 140 स्थानों में से इस पार्टी ने स्वयं 17 स्थान जीते जबकि अपनी सहयोगी पार्टियों समेत यह सिर्फ 41 सीटें ले पाने में सफल हुई.

अन्य बुर्जुआ-जमींदार पार्टियों का पतन

अन्य राज्यों में कांग्रेस(इ) की मुख्य प्रतिद्वन्द्वी अन्य बुर्जुआ जमींदार पार्टियां इसके हमले के आगे न ठहर सकीं. जनता पार्टी, लोकदल और कांग्रेस(अर्स) का कई राज्यों में बुरी तरह सफाया हो गया. कई राज्यों में कांग्रेस(इ) का समर्थन जनता के एक बड़े भाग ने किया. हिंदी-भाषी क्षेत्रों में इसकी भारी जीत का कारण मुख्यतः विरोधी वोटों का बंट जाना था.

इंदिरा-कांग्रेस की भारी जीत मुख्यतः जनता-पार्टी की जनता-विरोधी नीतियों के कारण हुई जिसमें कांग्रेस वाली वर्ग नीतियां ही बरकरार थीं. जनता सरकार समाज के सभी कमजोर वर्गों से लगातार दूर खिचती गई. इस पार्टी ने किसानों और खेतिहर-मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया तथा ग्रामीण वोटों के अभाव में इसका पतन निश्चित हो था. इसके साथ ही जनता सरकार ने मजदूर वर्ग व कर्मचारियों के प्रति भी शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई. पुलिस द्वारा गोलियां चलाई जाने तथा अन्य अत्याचारों के अलावा जनता सरकार ने कुख्यात औद्योगिक संबंध बिल तथा मजदूरों, कर्मचारियों अध्यापकों, नर्सों, डाक्टरों आदि की हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी एक बिल पेश किया था. जनता-बजटों में घाटे को अर्थव्यवस्था के कारण कीमतें बढ़ीं. अंतिम कुछ महीनों में कीमतें आसमान को छूने लगीं जिसका नकारात्मक असर लोकदल और कांग्रेस (अर्स) की कामचलाऊ सरकार की साख पर भी पड़ा. इन घटनाओं का तथा इनके द्वारा जनता पार्टी और लोकदल सरकारों द्वारा जनता का विश्वास खोने का पूरा फायदा इंदिरा कांग्रेस ने उठाया.

जनता पार्टी के अंतविरोधों व पार्टी के नेताओं के परस्पर सिद्धांतहीन झगड़ों के कारण भी इसकी छवि को नुकसान पहुंचा. कांग्रेस-लोकदल समझौते में अंदरूनी झगड़ों की यह परम्परा तब तक चलती रही जब तक कि यह गठबंधन टूट न गया. इससे जनता को विश्वास हो गया कि वे ऐसा गठबंधन नहीं थे जिस पर कि विश्वास किया जा सके और न ही वह ऐसा गठबंधन थे जो जनता को एक स्थिर सरकार दे पाता. इंदिरा गांधी ने दोबारा इसका फायदा उठाया और स्थिर सरकार देने का वायदा किया.

किन्तु जनता पार्टी ने अपनी जनसंघ-आर.एस.एस. विचार-धारा द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्यकों व हरिजनों को दूर करके तानाशाही-विरोधी मोर्चे को जबरदस्त आघात पहुंचाया. इसके परिणाम स्वरूप इन वर्गों के पास कांग्रेस(इ) की शरण लेने के सिवा कोई रास्ता ही न बचा. 1977 के चुनावों में इन तबकों के सहयोग के कारण ही जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय मिली थी. जनसंघ—आर.एस.एस. के सिद्धांत सिर्फ सैद्धांतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहे. इसका व्यवाहारिक रूप अलीगढ़ और जमशेदपुर के दंगों के दौरान सामने आया जिससे अल्पसंख्यक लोग इंदिरा कांग्रेस के जनता-विरोधी खेमे में जा मिले. ठीक

[शेष मध्य पृष्ठों पर]

पहलकदमी मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए

लंबे संघर्ष के बाद भारत सरकार द्विपक्षीय वेतन समझौता-वार्ता मशीनरी के माध्यम से मुख्य बन्दरगाहों में बन्दरगाह तथा गोदी कर्मचारियों के चार फेडरेशनों के प्रतिनिधियों से उनके वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मजबूर हुई है।

मजदूरों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित द्विपक्षीय मशीनरी को दिए गए स्मरणपत्र के बारे में ऐसा लगता है कि आल इंडिया पोर्ट एंड डाक वर्कर्स फेडरेशन (एच. एम. एस.) के नेता जो 1976 तक सौदेबाजी के एकमात्र एजंट रहे, फिर से एकमात्र सौदेबाजी के एजेंट बनने के लिए प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उनका प्रस्ताव है कि वह संगठन ही द्विपक्षीय मशीनरी में एकमात्र मजदूर प्रतिनिधि हो जो गुप्त मतदान द्वारा बन्दरगाह तथा गोदी कर्मचारियों का सबसे अधिक समर्थन प्राप्त करता है।

मुख्य बन्दरगाहों में समस्याएं व काम करने की हालत अलग-अलग तरह की हैं. मजदूरों के हितों को हासिल करने के लिए क्या यह फार्मूला काम कर सकता है और ठीक हो सकता है. इसलिए दूसरी तीन फेडरेशनों द्वारा ऐसा प्रस्ताव माना नहीं गया.

यह समझ में नहीं आता है कि जिस प्रकार कोयला, इस्पात, 'भेल' जैसे सार्वजनिक उद्योगों में समझौता-वार्ता मशीनरी के काम करने का तरीका जिसने कुछ सन्तोषजनक काम किया भी है बन्दरगाह उद्योग में उन्हें क्यों मंजूर नहीं है, जबकि एच एम. एस. ने अन्य संगठनों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भी स्वीकार कर लिया था।

17 जनवरी 1980 को जहाजरानी और ट्रान्सपोर्ट मंत्रालय के साथ हुई मीटिंग में यह देखा गया कि उन्हें न तो चारों फेडरेशनों के समान प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव और न ही संगठनों की ताकत के अनुसार प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव मंजूर था. चारों फेडरेशनों से एक-एक प्रतिनिधि और मजदूरों से सबसे ज्यादा वोट पाने वाले फेडरेशन के नामजद प्रतिनिधि आदि का प्रस्ताव भी जो बाकी तीन फेडरेशनों को मान्य था, उन्हें स्वीकार्य नहीं था।

इसके नतीजतन मीटिंग 21 फरवरी 1980 तक के लिए इस फैसले के साथ स्थगित कर दी गई कि यदि कोई फार्मूला नहीं बना तो यह मुद्दा केवल सरकार के हाथ में होगा।

आल इण्डिया पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स फेडरेशन द्वारा उठाए गए इस कदम से हो सकता है कि यह सारा मुद्दा सरकार की दया पर रह जाए. वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन यह चाहती है कि पहलकदमी मजदूरों के ही हाथ में रहे और एकजुट कदम बन्दरगाह और गोदी कर्मचारियों की सौदेबाजी की ताकत को मजबूत करेगा।

सीटू के नेता 7वीं लोक सभा में

जनवरी 1980 के आम चुनाव में निम्नलिखित सीटू नेता संसद सदस्य चुने गए हैं :

नं.	नाम	चुनाव क्षेत्र	सीटू में पद
1.	सुशीला गोपालन	एलेप्पी (के.)	उपाध्यक्ष
2.	मुहम्मद इस्माइल	बैरकपुर (प.बं.)	उपाध्यक्ष
3.	ई. बालानंदन	मुकुंदपुरम (के.)	सचिव
4.	नीरेन घोष	दमदम (प.बं)	सचिव
5.	समर मुखर्जी	हावड़ा (प.बं.)	कोषाध्यक्ष
6.	आनंद पाठक	दार्जिलिंग (प.बं.)	वर्किंग कमेटी सदस्य
7.	सुशील कुमार भट्टाचार्य (दिल्ली में जयंत राय के नाम से जाने जाते हैं)	बर्दवान(प.बं)	वर्किंग कमेटी सदस्य व दिल्ली सीटू के महासचिव
8.	एम.एम. लारेंस	इदुक्की (के)	वर्किंग कमेटी सदस्य
9	ई.के. इंबिची बावा	कालीकट (के.)	जनरल काउंसिल सदस्य
10.	सोमनाथ चटर्जी	जादवपुर (प.बं.)	सीटू यूनियनों से संबंधित
11.	सुबोध सेन	जलपाइगुड़ी (प. बं.)	सीटू यूनियनों व चाय बागानों से संबंधित
12.	सुनील मोइत्रा	उत्तर-पूर्व कलकत्ता (प. बं.)	सीटू यूनियनों व जीवन बीमा निगम यूनियनों से संबंधित
13.	अजय बिश्वास	पश्चिम त्रिपुरा (त्रि.)	सीटू यूनियनों व सरकारी कर्मचारी समन्वय समिति से संबंधित

* प. बं. : पश्चिम बंगाल
के. : केरल
त्रि. : त्रिपुरा

नोट : सीटू महासचिव पी. राममूर्ति व वर्किंग कमेटी सदस्य विश्वनाथ मेनन पहले ही राज्य सभा के सदस्य हैं.

ट्रे. यू. डेलिगेट के चुनाव के लिए सीटू का सुझाव

सीटू के विचार में किसी एक संगठन को आई.एल.ओ. अधिवेशन में प्रतिनिधि भेजने का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए. भारत में अनेक ट्रेड यूनियन हैं और आई.एल.ओ. कानफ्रेंस के लिए प्रतिनिधि का नामांकन इन यूनियनों को मध्येनजर रखकर करना चाहिए. सीटू का विचार है कि आई.एल.ओ. कानफ्रेंस के लिए 'क्रमानुसार सिद्धांत' (रोटेशन) को अपनाकर देश की प्रमुख ट्रेड यूनियनों के सुझाव से डेलिगेट का चुनाव होना चाहिए.

कुछ समय पहले, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की एक सब कमेटी में यह तय हुआ था कि इंटक, सीटू, एटक, एच.एम.एस., बी.एम.एस. ही भारत की सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाली ट्रेड यूनियनें हैं जिनकी सदस्य संख्या 5 लाख से भी अधिक है. इसीलिए यह सुझाव दिया गया कि इन पांच ट्रेड यूनियनों में से ही 'क्रमानुसार सिद्धांत' के मुताबिक किसी एक को प्रतिनिधि चुना जाय. किसी वर्ष वे यूनियनें जो अपने डेलिगेट नहीं भेजेंगी उन्हें डेलिगेट के परामर्शदाता भेजने का अधिकार होगा. इस प्रकार पांचों ट्रेड यूनियनें हर साल आई.एल.ओ. कानफ्रेंस में भाग ले सकती हैं.

सीटू के अनुसार, किसी भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए प्रतिनिधि भेजते समय 'क्रमानुसार, सिद्धांत' के लिए निषेधाधिकार (वीटो) का अधिकार नहीं होना चाहिए.

'क्रमानुसार सिद्धान्त' फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन आदि जैसे अनेक देशों में स्वीकार किया गया है और वहां यह सफल भी हुआ है. इसलिए इसे भारत में भी सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है.

इटक ने 1978 में और 1979 में एच.एम.एस. ने अपने-अपने डेलिगेट भेजे थे. इसलिए सीटू सुझाव देती है कि बाकी के 3 संगठनों—सीटू, एटक और बी.एम.एस., को भी इस बार डेलिगेट भेजने का मौका मिलना चाहिए. इस सिद्धांत को सुचारु रूप से कैसे चलाया जाएगा यह आपसी सूझ-बूझ से ही हो सकेगा.

सीटू यह आशा करती है कि सरकार इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और आई.एल.ओ. कानफ्रेंस के लिए प्रतिनिधि भेजते समय 'क्रमानुसार सिद्धांत' को स्वीकार करेगी. हालांकि यह सिद्धांत 1979 में श्रम मंत्री द्वारा स्वीकृत हुआ था इसलिए सीटू के विचार में, 1979 में आई.एल.ओ. की क्रेडेंशियल कमेटी के निष्कर्ष के बावजूद यह सरकार इसे पूरी तरह से लागू कर सकती है.

'भेल' समझौता

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ('भेल') के प्रबंधकों के साथ 9 जनवरी को हुए समझौते से 'भेल' में काम कर रहे लगभग 60 हजार कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा. इस समझौते के तहत कर्मचारियों को 1 सितंबर 1978 से न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता कम से कम 500 रुपये मिलेगा. इस प्रकार कर्मचारियों को उनके वर्तमान कुल वेतन के अनुसार रु. 67.60 से रु. 90 तक की वृद्धि मिलेगी. वेतनवृद्धि की दर इससे पहले कुल वेतन का 12 प्रतिशत थी.

यह भी मान लिया गया कि इस समझौते की कालावधि में किसी भी कर्मचारी का वेतन वेतनमान के अंतिम चरण में आकर रुक नहीं जाएगा.

महंगाई सूचकांक की भरपाई के बारे में कोई फैसला न हो पाया. मजदूरों की तरफ से यह जोरदार मांग की गई कि महंगाई सूचकांक की भरपाई शत प्रतिशत हो.

क्योंकि समझौते की कालावधि को एक साल आगे कर दिया गया है इस लिए इस बीच मजदूरों को तदर्थ राशि उनके वेतनमानों के अनुसार 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक मिलेगी.

यदि फिटमैंट राशि को जोड़ने के बाद भी कुल राशि संशोधित वेतनमान के बराबर नहीं हो जाती तब उन मजदूरों को अगले ऊंचे मान में रखा जाएगा. इसके अतिरिक्त संशोधित ग्रेड में हर मजदूर को एक अतिरिक्त वृद्धि मिलेगी.

यदि इस समझौते को लागू करते हुए कोई असंगति सामने आती है तो उसे संयुक्त समिति द्वारा इसके लिए बनाई गई एक समिति के सामने रखा जाएगा.

यह समझौता 31 अगस्त 1982 तक मान्य होगा. अगले समझौते के लिए बातचीत इस समझौते के खत्म होने से पहले ही शुरू की जाएगी.

मजदूरों द्वारा अपने मांग-पत्र में उठाए गए अन्य मुद्दों पर संयुक्त समिति की अगली बैठकों में विचार होगा.

सीटू की ओर से समझौते पर एम. के. पंधे व के. विजयन ने हस्ताक्षर किए.

ट्रेड यूनियनों की संपत्ति

एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की अमालगमेटिड यूनियन आफ इंजीनियरिंग वर्कर्ज (ए.यू.ई.डब्ल्यू) तथा ट्रांसपोर्ट एंड जनरल वर्कर्स यूनियन (टी.जी.डब्ल्यू.यू) की दिसंबर 1977 तक कुल आय व संपत्ति इस प्रकार थी :—

	कुल आय* £	कुल संपत्ति*£
टी.जी.डब्ल्यू.यू.	21,673	37,126
ए.यू.ई.डब्ल्यू	13,963	20,219

*हजारों में

1£-17 रु.

चोर को पकड़ो. खुद नौकरी से जाओ

क्वालिटी टेक्सटाइल प्रिंटर्स बहुत उच्च श्रेणी के कपड़ों को छपाई का काम करते हैं. मार्केट में इसकी साख भी अच्छी है. इसमें 400 मजदूर काम करते हैं और दिन में तीन शिफ्ट लगती हैं. इस प्लांट में कोई यूनियन नहीं है.

कुछ समय से जनरल मैनेजर को शिफ्ट मैनेजरों से ये लगातार रिपोर्ट मिल रही थीं कि प्लांट से ग्राहकों के कपड़ों के टुकड़े गायब हो रहे हैं और वे इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं. जनरल मैनेजर ने नुकसान की ओर खास ध्यान दिया. नुकसान के अलावा कंपनी की साख का भी सवाल था. इसलिए उसने यह निर्देश जारी किया कि प्लांट से घर जाते समय मजदूरों की तलाशी ली जाए. इस प्रकार तलाशी के नतीजतन कई मजदूर पकड़े गए जिनके कपड़ों में कंपनी के कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े छिपे थे. उन पर चार्जशीट लगायी गई और छानबीन के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया.

कुछ दिन बाद दोपहर के खाने की छुट्टी के समय के दौरान तह करने वाले विभाग के एक मजदूर विश्वनाथ ने एक एसिस्टेंट सुपरवाइजर को अपने बैग में कपड़े का टुकड़ा रखते देखा. विश्वनाथ ने इस बात की रिपोर्ट तुरंत शिफ्ट मैनेजर से कर दी. शिफ्ट मैनेजर विभाग में आए और उन्होंने एसिस्टेंट सुपरवाइजर के बैग में कपड़े के टुकड़े को पाया. बिना किसी बातचीत के उन्होंने एसिस्टेंट सुपरवाइजर को अपने दफ्तर में मिलने को कहा. एक सप्ताह गुजर गया. कथित एसिस्टेंट सुपरवाइजर काम पर आता रहा.

इस दौरान, एसिस्टेंट सुपरवाइजर ने विश्वनाथ को चेतावनी दी कि उसके यहां "दिन गिने चुने हैं." इसने विश्वनाथ को परेशान कर दिया. वह शिफ्ट मैनेजर के पास गया और पूछा कि एसिस्टेंट सुपरवाइजर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. शिफ्ट मैनेजर ने उत्तर दिया "आपने जो भी किया उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं, लेकिन यह जानना आपका काम नहीं है कि हम उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं. याद रखो आखिरकार वह तुम्हारा अफसर है." विश्वनाथ को बहुत गुस्सा आया और शिफ्ट मैनेजर के दफ्तर से बिना कुछ कहे चला आया.

उसी दिन, प्लांट से वापस जाते समय जब चौकीदार विश्वनाथ की तलाशी लेने ही वाला था, विश्वनाथ ने जोर से कहा, "मैं तब तक अपनी तलाशी नहीं लेने दूंगा जब तक अफसरों की तलाशी नहीं होती, वे ही असली चोर हैं." चौकीदार ने विश्वनाथ को गेट पर ही रोक लिया और इसकी सूचना जनरल मैनेजर को दी, जिसने विश्वनाथ को अपने दफ्तर में बुला भेजा. जनरल मैनेजर द्वारा पूछे जानेपर विश्वनाथ ने एसिस्टेंट सुपरवाइजर के बैग में पाए गए कपड़े के टुकड़े और उसके बाद की घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया. फिर वह बात भी दोहराई जो उसने चौकीदार को कही थी. इस पर जनरल मैनेजर ने गुस्से से पूछा "तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम चोर हैं ?" विश्वनाथ ने जवाब दिया कि "अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा ही समझ लीजिए". जनरल मैनेजर ने घटना को विश्वनाथ के जवाब सहित रिकार्ड कर लिया और उस पर विश्वनाथ के हस्ताक्षर ले लिए.

अगले दिन, कंपनी के गेट में घुसने से पहले, विश्वनाथ को 'अनाज्ञाकारी काम तथा भद्दे व्यवहार जिसे उसने लिखित रूप में स्वीकार किया था" के कारण नौकरी से निकाले जाने के आदेश दे दिए गए.

खाद फैक्ट्री में मजदूरों की जीत

ठेकेदार व भ्रष्ट अफसरशाही किस प्रकार मिलकर मजदूरों का शोषण करते हैं इसका एक ताजा उदाहरण पानीपत (हरियाणा) में स्थापित केंद्रीय खाद संस्थान का कारखाना है.

भारत सरकार द्वारा संचालित 300 करोड़ की लागत से बने हुए इस संस्थान में 11,00 मजदूर काम करते हैं जिनमें से 500 दैनिक मजदूरी पर रखे हुए हैं. दैनिक मजदूरों को ठेकेदार केवल 7 रुपये दैनिक मजदूरी देता है जबकि कानून के तहत 9.25 रुपये मजदूरी निर्धारित है. इन मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, बीमारी छुट्टी, त्यौहार छुट्टी आदि कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है. भ्रष्ट अफसरों की मदद से स्थायी स्थानों पर भी दैनिक मजदूरों से काम कराकर मजदूरों का शोषण किया जाता है.

अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए इन मजदूरों ने सीटू के झंडे तले 'लाल झंडा एन. एफ. एल. मजदूर यूनियन पानीपत' के नाम से यूनियन बनाई. यूनियन के बनते ही ठेकेदारों ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी. एक ठेके पर सभी मजदूरों को अचानक निकाल दिया गया व उनके स्थान पर नये मजदूर रखे जाने लगे. ठेकेदार ने यह कार्रवाई एन. एफ. एल. के अधिकारियों व सुपरिंटेंडेंट की मिली भगत से की. किंतु मजदूरों ने तत्काल अपनी एकता का प्रदर्शन किया व सभी 500 मजदूर हड़ताल पर गए. 22 दिसंबर को स्थाई मजदूरों की यूनियन एन. एफ. एल. एंप्लाईज यूनियन के हस्तक्षेप के बाद समझौता हुआ तथा मजदूरों की सभी मांगें मान ली गईं. इस समझौते के अनुसार ठेकेदार के मजदूरों पर हरियाणा सरकार के रसायन उद्योग का न्यूनतम मजदूरी एक्ट लागू होगा, अकुशल मजदूरों को 7 रुपये प्रतिदिन मिलने के बजाय 240 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, दैनिक मजदूरों को 9.25 रुपये दैनिक मजदूरी मिलेगी, आकस्मिक, बीमारी, त्यौहार आदि की छुट्टियां मिलेंगी व ओवरटाइम दुगनी दर से मिलेगा. समझौते के अनुसार मजदूरों को नौकरी सुरक्षा की गारंटी है तथा

[शेष पृष्ठ दस पर]

मजदूर और कर्मचारी हमलों के निशाने

उत्तरपूर्वी रीजन की रीजनल कोआर्डिनेशन कमेटी आफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाईज एण्ड वर्कर्स के सेक्रेट्री जनरल ने 30 नवंबर 1979 को कनफेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाईज एण्ड वर्कर्स नई दिल्ली के सेक्रेटरी जनरल को एक पत्र द्वारा आसाम तथा मेघालय के राज्यों की बिगड़ती हुई कानून तथा व्यवस्था संबंधी और गैर आदिवासी लोगों पर हो रहे हमलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है.

हालात का विश्लेषण करते हुए जनरल सेक्रेटरी ने लिखा है कि यद्यपि हुड़दंग मचाने वाले तथाकथित विदेशियों के नाम मतदाता सूची में से निकालने तथा उनको भारत से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं. लेकिन यह एक दिखावा है.

झगड़े का असली रूप जातिवादी और कट्टरपंथी है, तथा यह नारा उन सभी लोगों के खिलाफ लगाया गया है जो भारत के विभिन्न हिस्सों से आये हैं तथा आसाम के या आदिवासी नहीं हैं. यह फसाद बहुत दूर-दूर तक फैला हुआ है तथा चारों ओर भारी संख्या में हत्यायें की गयी हैं. इसमें आगजनी, लूटमार तथा घरों से निकालना आदि भी शामिल हैं. इसका नतीजा यह हुआ कि करीब 1000 बंगाली परिवारों को पड़ौस के पश्चिम बंगाल राज्य में शरण लेनी पड़ी है, तथा और बहुत लोग त्रिपुरा जा रहे हैं. मेघालय में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हमलों के निशाने बने हुए हैं.

अफसोस की बात यह है कि राज्य सरकार की शासन व्यवस्था लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में कोई उत्साह नहीं दिखा रही है. इसका नतीजा यह हुआ है कि हजारों गैर आदिवासियों को सहायता शिविरों में शरण लेनी पड़ी है. सैकड़ों लोग अस्पताल में भरती किये गये हैं. सरकार जानबूझकर इस बारे में सच्चाई को दबा रही है. स्थिति की घृणात्मक बात यह भी है कि आदिवासी अपने मकानों से गैर आदिवासियों को निकाल रहे हैं. सरकार खामोशी से यह सब देख रही है.

सेक्रेटरी जनरल रीजनल कोआर्डिनेशन कमेटी ने पेरेंट कनफेडरेशन से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है. इसमें जे. सी. एम. की एक विशेष मीटिंग बुलाने की भी मांग की गई है ताकि आसाम तथा मेघालय के केंद्रीय कर्मचारियों को पूरा संरक्षण प्रदान करने के बारे में बातचीत की जा सके.

उन्होंने यह भी कहा है कि कनफेडरेशन केंद्रीय यूनियनों का आह्वान करे कि वे ट्रेड यूनियन आंदोलन पर सांप्रदायिक हमलों तथा मजदूरों में फूट डालने की नीति के खिलाफ आवाज उठाएं.

त्रिपुरा के श्रममंत्री बीरेन दत्त ने 11 दिसंबर 1979 को भारत के राष्ट्रपति के नाम एक पत्र में उनका ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है. उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें.

जिस समय यह पत्र लिखा गया था उसके बाद आसाम और मेघालय में हालत और भी नाजुक हो गई है. हालात की गंभीरता इस बात से जाहिर होती है कि दो निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी किसी भी क्षेत्र में लोकसभा चुनाव नहीं कराए जा सके.

अखबारों ने इस आंदोलन को पृथकतावादी आंदोलन बतलाया है. अब केंद्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है.

सीटू के उपाध्यक्ष तथा पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के मुख्य मंत्री ज्योति बसु ने प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है.

आशा है कि अब कोई राजनीतिक समझौता जल्दी ही निकलेगा.

सीटू कार्यकर्त्ताओं पर लगातार हमले

आसम राज्य में सीटू कार्यकर्त्ताओं पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं तथा निहित स्वार्थ इन्हें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. इस प्रकार की रपटें हमने पहले भी प्रकाशित की हैं. इनमें से अधिकतर हमले प्रबंधकों व पुलिस की शह पर हो रहे हैं.

23 दिसंबर 1979 को विमको वर्कर्स यूनियन (सीटू), डुबरी में इंटक से संबंधित फजीलत अली नाम के कुख्यात गुंडे तथा उसके अन्य सहयोगियों ने यूनियन कार्यकर्त्ताओं पर कई बार हमले किए. जब यूनियन के उप सचिव विनय भूषण दत्त हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो उनको गुंडों ने फैक्ट्री के परिसर में ही पीटना आरंभ कर दिया. उसी समय एक और उप सचिव तालुकदार वहां पहुंचे और उन्होंने विनय भूषण दत्त को हमलावरों से बचाया. इस मामले की खबर पुलिस को तत्काल दे दी गई किंतु पुलिस ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है.

यह किस्सा यहीं खत्म नहीं हो जाता. उसी दिन शाम को वही गुंडा अपने कुछ और साथियों को लेकर वहां पहुंचा. उन्होंने सांप्रदायिक भावनाओं को उभारने वाले नारे लगाए. पुलिस तमाशबीनों की तरह यह सब देखती रही. दबाव में प्रबंधकों ने पुलिस से अली के खिलाफ शिकायत की. अली को दिखावे मात्र के लिए गिरफ्तार कर लिया गया किंतु तत्काल रिहा भी कर दिया गया.

शाम के साढ़े सात बजे अली ने ड्यूटी पर काम कर रहे तालुकदार पर हमला किया. इस समय उस विभाग के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे. जब उन्होंने

[शेष पृष्ठ छः पर]

केनरा बैंक कर्मचारियों का संघर्ष

एन. सी. बी. ई. से संबद्ध केनरा बैंक स्टाफ यूनियन के 7,000 सदस्य दो वर्ष से भी अधिक समय से आंदोलन की राह पर हैं. यह आंदोलन बैंक प्रबंधकों के दमनकारी रुख के विरोध में व अपनी न्यायोचित मांगों को मनवाने के लिए किया जा रहा है. बैंक व्यवस्थापकों ने अल्पसंख्यक पिट्ठू यूनियन से सांठगांठ करके स्टाफ यूनियन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बदनामी की मुहिम छेड़ी हुई है. अकेले बंबई क्षेत्र में ही 13 यूनियन के प्रतिनिधियों का या तो स्थानांतरण कर दिया गया या नौकरी से मुअत्तिल कर दिया गया तथा कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने के लिए वेतन-कटौती जैसे घृणित हथकंडों का सहारा लिया गया. व्यवस्थापक यूनियन कार्यकर्ताओं को डरा व धमका रहे है तथा विभिन्न यूनियनों के बीच झगड़ा करवाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं.

जब केनरा बैंक के व्यवस्थापक कर्मचारियों की मांगों के फैसले के लिए स्टाफ यूनियन से बातचीत का स्वांग कर रहे थे तब अल्पसंख्यक यूनियनों ने प्रबंधकों के इशारे पर 1977 में अदालत से 'इंजंक्शन' प्राप्त कर लिया जिसके फलस्वरूप बातचीत रुक गई. किंतु दिसंबर 1978 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया था. इसके बाद स्टाफ यूनियन ने प्रबंधकों से बार-बार कहा कि वे कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत दुबारा शुरू करें. व्यवस्थापक इस बात को लगातार टालते रहे. किंतु पीठ पीछे उन्होंने दूसरी अल्पसंख्यक यूनियन से फैसला कर लिया. यह फैसला मजदूरों की मांगों को पूरा नहीं करता व उनके हितों के खिलाफ है.

कुछ सीमित स्थानीय मुद्दों पर दो महीने पहले व्यवस्थापकों व स्टाफ यूनियन में एक फैसला हुआ था जिसके अनुसार यूनियन कार्यकर्ताओं के खिलाफ बदले की भावना से जारी किए गए आदेश वापिस लिए जाने थे. किंतु प्रबंधकों ने समझौते का पालन नहीं किया.

जब प्रबंधकों की इस वादाखिलाफी का विरोध किया गया तो दमन का चक्र और तेज हो गया. तथा कई कार्यकर्ताओं को झूठे फौजदारी मुकदमों में फंसाया गया. यहां तक की महिला कर्मचारियों को भी पुलिस की सहायता से तंग किया गया.

कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं—सही प्रमोशन (पदोन्नत्ति) नीति, रिक्त पदों को भरा जाना, सही स्थानांतरण नीति विक्टिमाइजेशन समाप्त करना, सबके लिए बोनस, अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई बनाना, मजदूर-संबंधों में भेदभाव समाप्त करना तथा आवास सुविधाएं प्रदान करना. इन मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी प्रदर्शन, जुलूस, धरना आदि जायज ट्रेड यूनियन गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं.

ग्रिंडलेज बैंक में लगातार हड़ताल जारी

5 जनवरी 1979 से चार हजार से अधिक ग्रिंडलेज बैंक कर्मचारियों की आल-इंडिया हड़ताल जारी है. पिछले नवंबर/दिसंबर के दौरान सरकार द्वारा कोई प्रभावशाली हस्तक्षेप न होने के कारण 27 दिसंबर 1979 से 11 जनवरी तक कई तारीखों को हुई द्विपक्षीय समझौता-वार्ताओं को नाकामयाब करने में प्रबंधक काफी ताकतवर रहे. अब यह मुद्दा नई सरकार के सामने विचाराधीन है जो हस्तक्षेप के आश्वासन के बावजूद बहुत ही धीरे-धीरे काम कर रही है. संसद के वामपंथी-सदस्यों द्वारा वित्त तथा श्रम मंत्रियों पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि वह जल्दी ही कोई कार्यवाही करें.

आल इंडिया ग्रिंडलेज बैंक एंप्लाईज फेडरेशन की केंद्रीय कमेटी ने जो 19 और 20 जनवरी को दिल्ली में मिली थी, कर्मचारियों की मांगों पर उचित समझौता जीतने के लिए संघर्ष जारी रखने का फैसला किया है.

आसाम में सीटू के कार्यकर्त्ताओं पर हमले

[पृष्ठ पांच से आगे]

चौकीदार से पूछा कि अली को फैक्ट्री के अंदर आने की इजाजत कैसे मिली तो चौकीदार ने जवाब दिया कि उच्चाधिकारियों का ऐसा आदेश था और वह इसकी अवहेलना नहीं कर सकता था. इस वक्तव्य से साफ सिद्ध होता है कि इस घटनाक्रम के पीछे प्रबंधकों का हाथ है.

उसी रात सवा दस बजे यूनियन के एक और कार्यकर्त्ता बी. सैका पर एमको रोड पुलिस चौकी के ठीक सामने इसी फजल अली ने घातक हमला किया. बी. सैका को गंभीर चोटें आई. सैका को बचने के लिए पुलिस चौकी की शरण लेनी पड़ी. लेकिन पुलिस अफसरों के बर्ताव व व्यंग-भरी टिप्पणियों से यह साफ जाहिर हो गया कि हमले प्रबंधकों व पुलिस की मिलीभगत का परिणाम है.

इस मामले की सूचना हर संबंधित अधिकारी के पास भेज दी गई है किंतु अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. ऐसी अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं कि जब तक तथाकथित 'विदेशी' वापस नहीं चले जाते, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी. मजदूर शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश रहे हैं.

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे
वार्षिक चंदा — छः रुपये
कम से कम पांच प्रतियों की एजेंसी

मिलने का पता :
सीटू कार्यालय,
6, तालकटोरा रोड
नई दिल्ली-110001
फोन : 384071

मालिक साफ बरी, मजदूर की मुसीबत

रूपाली चाय बागान गोपालपुर टी कंपनी लिमिटेड की जायदाद थी. बी. सी. घोष इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे. 1972 से पहले इसे खेमकाज को बेच दिया गया. सितंबर 1973 में दुर्गापूजा से पहले खेमकाज ने गैरकानूनी तालाबंदी घोषित कर दी और चाय बागान, फैक्ट्री, बंगले आदि की देखभाल को छोड़ कर और बोनस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और वेतन दिए बिना भाग गया. सरकारी श्रम विभाग इस बाग को खोलने में असफल रहा. यद्यपि बाग के मजदूर भूखे रह रहे थे फिर भी उन्होंने चाय बागान मजदूर यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में शीत ऋतु बागवानी के काम को पूरा करके उसकी उपज व संपत्ति को बचा लिया.

यूनियन के जनरल सेक्रेटरी संतोष भौमिक ने कई अधिकारियों को और युनाइटिड बैंक आफ इंडिया से सम्पर्क भी बनाया. उक्त बैंक ने रूपाली चाय बागान को लगभग 36 लाख रुपए की सहायता दी थी. इस समय बाग हरे पत्तों की चमक से भरपूर था और मजदूर भूखे थे. कोई भी इस बाग को लेने नहीं आया. जून 1974 से दिसंबर 1974 तक यूनियन ने कोई दूसरा विकल्प न पाकर पत्तियां तोड़नी शुरू कर दी थी.

कोर्ट ने 12 दिसंबर 1974 को यू. बी. आई. के एजेंट की प्राप्त-कर्त्ता के रूप में नियुक्ति की जिसने फरवरी 1975 में कब्जा किया. कब्जा लेने के बाद उसने बकाया वेतन सहित बोनस ग्रेच्युटी, पी. एफ. आदि मजदूरों को अदा करने का विश्वास दिलाया

पश्चिम बंगाल के पी. एफ. कमिश्नर ने 18 मार्च 1976 को एस. भौमिक को 'समन' भेजा. उन्होंने जून 1974 से फरवरी 1975 तक का पी. एफ. और परिवार कल्याण का मजदूरों और मालिकों का हिस्सा जमा करा दिया था. अब पी. एफ. अधिकारी अप्रैल 1972 से फरवरी 1975 तक का दोनों के हिस्से मांग रहे है, जो कि बागान में यूनियन स्थापित होने से पहले का समय है.

पश्चिम बंगाल पी. एफ. कमिश्नर ने अब 18 जनवरी 1977 को एस. भौमिक के विरुद्ध 9 मामले लगाए और तीनों मालिकों बी. सी. घोष, खेमकाज और यू. बी. आई. एजेंट डी. के. सेन को छोड़ दिया.

स्थानीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पश्चिम बंगाल को एस. भौमिक के विरुद्ध लगाए गए मामलों को वापिस लेने के लिए कई याचनाएं दी गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.

यहां कई बाग हैं जिन्होंने लंबे समय से पी. एफ. की राशि जमा नहीं करायी है. लेकिन उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा रही, लेकिन पी. एफ. अधिकारियों द्वारा यह गरीब सुपरवाइजरी स्टाफ सताया जा रहा है.

नई दिल्ली में केंद्रीय पी. एफ. कमिश्नर के साथ सीटू केंद्र ने इस मुद्दे को उठाया है.

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारियों पर दमन की सीटू द्वारा निंदा

सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने निम्नलिखित प्रेस विज्ञप्ति 29 दिसंबर को जारी की है :

सीटू मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के दमन की भर्त्सना करता है. ये कर्मचारी आंदोलन छेड़ने पर तब बाध्य हो गए जब छः सप्ताह पहले दिए गए अपने नोटिस के बावजूद सरकार ने उनकी जायज मांगों पर कोई ध्यान न दिया. मिनी मीसा लगाने तथा दल्ली राजहरा व बैलाडिला में मजदूरों के साथ खून की होली खेलने के बाद यह एक और मौका है जब मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना मजदूर वर्ग विरोधी चेहरा जाहिर किया है. हजारों मजदूर जेल में ठूंस दिए गए हैं तथा सभी अस्थाई स्टाफ को निकाल दिया गया है. सरकार की इन हरकतों तथा निकाले गए मजदूरों के स्थान पर नई भर्तियां करने के प्रयत्न श्रीमती गांधी वाले आपातकाल के दौरान अधिनायकवादी शासनकाल की याद ताजा कर देते हैं.

सीटू राज्य सरकार कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को अपना पूरा समर्थन देती है. इनकी मांगों में मुख्य विक्टिमाइज किए गए मजदूरों की बदली तथा पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए इंटेरिम रिलीफ की मांगें हैं. सीटू केंद्रीय सरकार व भारत के राष्ट्रपति से अपील करती है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा राज्य सरकार को द्विपक्षीय बातचीत द्वारा मांगों को निपटाने का निर्देश दें.

सीटू सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा देश की जनवादी जनता से अपील करती है कि वे मध्यप्रदेश सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद करें.

'भेल' झांसी की मजदूर विरोधी नीति

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, (भेल) झांसी, के प्रबंधक मजदूरों के ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भाग लेने से रोकने तथा उनमें रुकावटें डालने के लिए अपने भाड़े के गुंडों की मदद से मजदूरों पर जबरदस्त दमन कर रहे हैं. अनेक मजदूरों को झूठे मामलों में फंसाकर पुलिस कार्रवाइयां की जा रही हैं. कई मजदूरों को असलियत में ट्रेड यूनियन आंदोलन में भाग लेने की वजह से बिना कारण बताए बर्खास्त व मुअत्तिल किया गया है. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मजदूर यूनियन निकाले गए मजदूरों की नौकरी की बहाली व अन्य मांगों के लिए संघर्षरत है और उसने प्रबंधकों व अन्य अधिकारियों से मामले को तुरंत तय करने की मांग की है.

आम जनता के हित जोखिम में हैं

[मुख पृष्ठ से आगे]

यही जनता-सरकार के शासनकाल में हुए हरिजन-विरोधी अत्याचारों में हुआ. इन अत्याचारों में जातिवाद का खुला रूप देखने को मिला, जिसका पूरा फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया. लोकदल-कांग्रेस गठबंधन के टूटने, उनके आपसी झगड़ों, लोकदल की प्रतिक्रियावादी नीतियों तथा कामचलाऊ सरकार के शासन-काल में कीमतों की भारी बढ़ोतरी ने इसके भविष्य की संभावनाएं खत्म कर दीं. इसके परिणामस्वरूप उन राज्यों में जहाँ वामपंथी शक्तियां कमजोर थीं लोग कांग्रेस(इ) का समर्थन करने को प्रेरित हुए.

वामपंथी विकल्प को लोगों का समर्थन

इन्हीं हालतों में तीन राज्यों त्रिपुरा, केरल और पश्चिम बंगाल जहां वामपंथी प्रजातांत्रिक ताकतें विकल्प के रूप में उभर रही हैं इंदिरा का जादू न चल पाया. ये राज्य उसके प्रभाव में न आ पाए और यहां इंदिरा को मुंह की खानी पड़ी. यह एक बार फिर जाहिर हो गया कि वामपंथी प्रजातांत्रिक पार्टियां एकजुट होकर तानाशाही हमले का डटकर मुकाबला करने में समर्थ हैं.

गंभीर मोड़

लोकसभा में इंदिरा गांधी की भारी जीत मजदूर तबके के लिए एक खतरा है. यह उस पार्टी की शक्ति की वापसी की ओर इशारा करता है जिसने आपातस्थिति लागू की थी, मूलभूत सिद्धांतों को रद्द कर दिया था, हड़तालों पर प्रतिबंध लगाकर मजदूर वर्ग व कर्मचारियों को उनके शोषकों की मेहरबानी पर छोड़ दिया था. यह उस पार्टी की जीत की सूचना देती है जिसने 20 सूत्री कार्यक्रम का दिखावा करके किसानों और खेतिहर-मजदूरों को धोखा दिया. लोकतंत्र खतरे में है. आम जनता के हित जोखिम में हैं.

भविष्य की संभावनाएं

वर्तमान हालात मजदूर वर्ग के सभी भागों और ट्रेड यूनियन आंदोलन का आह्वान करते हैं कि जनवाद की सुरक्षा व लोगों की भलाई के लिए तानाशाह-विरोधी मोर्चा बनाने में पहल करें. इसमें कोई शक नहीं कि जनता के एक बड़े भाग ने कांग्रेस(इ) को समर्थन दिया है. इस जीत के पीछे छिपे खतरे को न जान पाने के कारण ही उन्होंने ऐसा किया. सच्चाई यह है कि इसके बावजूद भी कांग्रेस(इ) को वास्तविक बहुमत नहीं मिला है. इंदिरा कांग्रेस ने केवल 42 प्रतिशत वोटों के आधार पर लोकसभा की 70 प्रतिशत सीटें जीतीं. यह स्पष्ट होना चाहिए कि मतदाताओं के बहुमत ने अपना फैसला इंदिरा के खिलाफ दिया है. यह भारी संख्या तानाशाही-विरोधी संघर्ष व जनवाद को बचाए रखने के लिए एक बड़े दर्जे के मोर्चे की बुनियाद है. जिन्होंने कांग्रेस(इ) को वोट दिया है उनका भ्रम जल्द ही टूटेगा तथा लगातार गहराते आर्थिक संकट में वे खुद को छला हुआ पाएंगे. लोगों की रोजी के लिए हो रहा संघर्ष ज्यादा से ज्यादा जनता को लामबंद करेगा. इस संघर्ष के मुख्य मुद्दे होंगे—मूल्य वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष, बेरोजगारी के विरुद्ध लड़ाई और किसानों व खेतिहर-मजदूरों के हालातों में सुधार की मांग. साथ ही इस विस्तृत मोर्चे को अल्पसंख्यकों और हरिजनों के संघर्ष का नेतृत्व भी करना होगा और उन्हें तानाशाही पार्टी के चंगुल से बचाना होगा.

वामपंथी ताकतों को अगुवाई

सभी लोकतांत्रिक ताकतों का नेतृत्व करने के लिए और जल्द ही एक विस्तृत मोर्चा बनाने में वामपंथी शक्तियों को ही अगुवाई करनी है. त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल की वामपंथी सरकार को सुरक्षित रखना तथा जनता और लोकदल सरकारों को पलटने की कांग्रेस(इ) की नापाक कोशिशों से बचाना एक अहम काम है.

मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका

वामपंथी और लोकतांत्रिक ताकतों को संगठित करने में मजदूर-वर्ग और संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है. मजदूर वर्ग ही समाज की एक बुनियादी शक्ति है और इसकी संगठित शक्ति ही समाज के अन्य वर्गों को लामबंद करने में धुरी का रोल अदा कर सकती है. ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता चुनावों और उससे पहले की घटनाओं के दौरान अस्थाई तौर पर गड़बड़ा गयी थी. किन्तु अब कांग्रेस(इ) के सत्ता में आ जाने पर इसे अपनी एकता को जल्द ही बढ़ाना होगा और बिगड़ते हुए आर्थिक हालातों में आने वाले हमलों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा. एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन को यह बात नोट करनी चाहिए कि कांग्रेस(इ) के चुनाव घोषणा-पत्र में मजदूर वर्ग की एक भी मांग का समर्थन नहीं किया गया है. कर्मचारियों के तो अस्तित्व को भी यह नकारता है. जाहिर है कि इस वर्ग को आने वाले दिनों में कांग्रेस(इ) से क्या उम्मीदें करनी चाहिए! मजदूरों की नौकरियों, वेतनों और ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा करना एक कठिन काम है. इन कामों के लिए संयुक्त संघर्ष ही वामपंथी शक्तियों के आगे बढ़ने का सही माहोल तैयार कर सकेगा.

ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता देश की वामपंथी व जनतांत्रिक ताकतों को सुदृढ़ करने के लिए एक जरूरी आधार है. यही वह रास्ता है जिस पर बढ़ते हुए मजदूर वर्ग तानाशाही ताकतों की चुनौती का मुकाबला कर सकता है, जनवाद की रक्षा कर सकता है और जनता के जीवनयापन से सम्बंधित फौरी मांगों को तत्काल पूरा कर सकता है.

सरकारी कर्मचारियों को बोनस

कनफेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाईज यूनियन एंड एसोसिएशंज द्वारा शुरू किए गए एक प्रदर्शन ने एक बार फिर अधिकारियों का ध्यान सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने की आवश्यकता पर केंद्रित कर दिया है.

कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी

श्रीमती गांधी, श्री मोरारजी देसाई तथा श्री चरणसिंह द्वारा अपनाई गई वेतन जाम की नीति से केंद्रीय कर्मचारी बोनस से वंचित रह गए हैं. जनता पार्टी ने 1977 के अपने चुनाव घोषणापत्र में बोनस को विलंबित वेतन माना था. परंतु सत्ता में आने के बाद उसको कार्यान्वित करने से इंकार कर दिया. स्वाभाविक तौर पर रेलवे तथा सरकारी कर्मचारियों ने यह महसूस किया कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है.

आंदोलन जारी रहेगा

17 लाख रेलवे कर्मचारियों को उनकी देशव्यापी हड़ताल की धमकी के कारण चरणसिंह सरकार ने बोनस देने की घोषणा की. लेकिन यह बोनस अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में ही दिया गया पर यह वह विलंबित वेतन नहीं था जिसकी रेलवे कर्मचारी मांग कर रहे थे. यद्यपि कुछ रेल मजदूरों के नेताओं को यह उनकी जीत महसूस हुई और उन्होंने मजदूरों को यह जताने की कोशिश की कि यही बोनस है. ट्रेड यूनियन आंदोलन बोनस को उत्पादन के साथ जोड़ने का पहले से ही विरोध करता रहा है. इसलिए रेलवे कर्मचारियों को विलंबित वेतन के रूप में बोनस पाने के लिए आंदोलन जारी रखना होगा.

बढ़ता फर्क

सरकारी कर्मचारियों की बोनस की मांग अतिरिक्त कार्य करने से अलग रखनी चाहिए. मौजूदा कार्यभार में ही सरकारी कर्मचारी बोनस के हकदार हैं. उनके मौजूदा वेतन तथा आवश्यक न्यूनतम वेतन के बीच फर्क बढ़ता जा रहा है. बोनस की अदायगी इस फर्क को केवल थोड़ा सा कम करेगी.

बिना शर्त बोनस

इसलिए केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को केवल रेलवे कर्मचारी बोनस योजना को लागू करने की ही मांग नहीं करनी चाहिए बल्कि यह जोर देना चाहिए कि बोनस को बिना शर्त के दिया जाए तथा उसको अधिक कार्यभार या उत्पादन से नहीं जोड़ा जाए.

पश्चिम बंगाल में बोनस

बोनस का भुगतान 40 लाख राज्य कर्मचारियों को भी होना चाहिए. केवल पश्चिम बंगाल सरकार ने बोनस को सैद्धांतिक रूप में मंजूर किया है. साथ ही 100 रुपये हर कर्मचारी को पिछले साल अदा भी किए. दूसरे राज्यों की सरमाएदार सरकारों ने इस मांग का विरोध किया है. कुछ राज्य में कर्मचारियों को द्रीय केंकर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते के लिए भी लड़ना पड़ा. ये सरकारें आसानी से अपने कर्मचारियों को बोनस देने वाली नहीं हैं.

सबको बोनस

इसलिए केंद्रीय तथा राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को बोनस की न्यायसंगत मांग हासिल करने के लिए एक लंबे आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा. भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन को अपनी ताकत सरकारी कर्मचारियों के पीछे जुटानी पड़ेगी ताकि उनको बोनस मिल सके तथा 'सभी को बोनस' का नारा भारत में सभी मजदूरों और कर्मचारियों पर लागू हो सके.

गणतंत्र दिवस पर सोवियत ट्रेड यूनियन का संदेश

सोवियत रूस की आल यूनियन काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीटू के नाम निम्नलिखित संदेश भेजा है:

"प्रिय साथियों यूनियनबद्ध सोवियत फंक्ट्री और कार्यालयों के मजदूरों और सामूहिक खेत मजदूरों की ओर से आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस (ए. यू. सी. सी. टी. यू.) आपके देश के राष्ट्रीय दिवस की 30 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय ट्रेड यूनियनों और श्रमिकों को हार्दिक शुभकामनाएं भेजती है. हमारे देशों के श्रमिकों के बीच भाई-चारे को बढ़ाने और एकजुटता को मजबूत करने के लिए भारतीय ट्रेड यूनियनों के साथ निकट सहयोग और दोस्ताना संबंधों के विकास को सोवियत ट्रेड यूनियनें बहुत अधिक महत्ता देती हैं. आपके देश में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लक्ष्यों की पूर्ति, अपने जनवादी अधिकारों और महत्वपूर्ण हितों के लिए संघर्ष और एशिया तथा समूचे विश्व शांति की स्थापना के लिए मजदूरों और ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता के लिए सभी भारतीय श्रमिकों की सफलता की तहेदिल से कामना करते हैं."

सीटू ने ए. यू. सी. सी. टी. यू. का इस संदेश के लिए धन्यवाद करते हुए आशा व्यक्त की है कि सोवियत रूस और भारत के मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियनों के बीच संबध और अच्छे होंगे.

भारत फाइल्स में हड़ताल जारी

कमरहाटी के इंडिया फाइल्स फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल इस 11 फरवरी को यदि तब तक कोई समझौता नहीं हुआ तो आठवें महीने में पदार्पण करेगी. मजदूरों व कर्मचारियों को 11 जून 1979 से मजबूरन लगातार हड़ताल पर जाना पड़ा. उनकी प्रमुख मांगें कामसे निकाले गये मजदूरों को फिर वापस काम पर लेना, वेतनवृद्धि एवं छुट्टी की सुविधायें आदि थी.

मूलतः यह कंपनी ब्रिटिश स्थापित थी. लेकिन इसका भारतीयकरण 1977 में केवल 24% भारतीय हिस्से के साथ हुआ. पिछले कुछ वर्षों में कंपनी की पेड अप कैपिटल 1.90 लाख से बढ़कर 20 करोड रुपये हो गई. जहां मैनेजिंग डायरेक्टर वेतन व अन्य सुविधाओं सहित 20 हजार रुपये माहवार कमाता हैं वहां एक सामान्य कर्मचारी मजदूर को सिर्फ रु० 393.30 माहवार ही मिलते हैं.

इंजीनियरिंग के समझौते के अनुसार कर्मचारी न्यूनतम वेतन रु० 537 के अधिकारी हैं. लेकिन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग समझौता न मानने में अड़ा हुआ है. दूसरी ओर मैनेजमेंट ने छंटनी के द्वारा कर्मचारियों की संख्या 1500 से घटाकर 1000 कर दी है. साथ ही स्वचालित यंत्रों के उपयोग से तथा अन्य कार्रवाई द्वारा मैनेजमेंट मजदूरों की संख्या कम करने की योजना बना रही है.

इस परिस्थिति में कर्मचारियों और मजदूरों के पास सिवाय हड़ताल जारी रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. चूंकि मैनेजमेंट न केवल यूनियन से बातचीत करने से इंकार कर रही है बल्कि राज्य के श्रम विभाग द्वारा बुलाई गई बैठकों में भी शामिल होने से कट रही है.

मजदूरों का मनोबल काफी ऊंचा है तथा अंतिम विजय तक हड़ताल चलाने के लिए वे निश्चयबद्ध हैं.

बहुत से दूसरी फैक्ट्रियों के मजदूरों ने इंडिया फाइल्स फैक्ट्री के कर्मचारियों को अपना बिरादराना समर्थन दिया है.

पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव मनोरंजन राय ने इस हड़ताल व कर्मचारियों की उचित मांगों का समर्थन करते हुए राज्य सरकार से इस फैक्ट्री को अपने मातहत लेने के लिए अनुरोध किया है.

मोलिंज मजदूरों की 5 महीने से जारी लगातार हड़ताल

कलकत्ता की एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री मोलिंज इंडिया लिमिटेड के मजदूरों और कर्मचारियों का हड़ताली आंदोलन पिछले साढ़े 5 महीनों से उनकी छंटनी किए गए मजदूरों को काम पर वापस लेने, बोनस, तथा मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों के बकाया पैसों का भुगतान करने की मांग के लिए और नियुक्तियां कम करने के खिलाफ जारी है.

मैनेजमेंट यूनियन से बातचीत न करने तथा कर्मचारियों की उचित मांगों को न मानने के लिए अड़ी हुई है.

बेहाला-तारटोला की सभी इंजीनियरिंग फैक्टियों के कर्मचारी एकता के साथ इंडिया मोलिंज के हड़ताली मजदूरों का समर्थन कर रहे हैं. 12 जनवरी को फैक्ट्री के पास आयोजित रैली सोमनाथ चटर्जी लोकसभा सदस्य रबिन मुकर्जी विधानसभा तथा अन्य सीटू नेताओं द्वारा संबोधित की गयी. उन्होंने सीटू यूनियनों के सारे कर्मचारियों को आह्वान किया कि वे हड़ताली मजदूरों की आर्थिक सहायता करें तथा एक ऐसे आंदोलन का निर्माण कर जिससे विवश होकर मैनेजमेंट को बातचीत और समझौता करना पड़े.

कलकत्ता का बिरला म्यूजियम बंद

कलकत्ता के बिरला औद्योगिक एवं तकनीकी संग्रहालय को वहां के अधिकारियों ने 30 दिसंबर से बिना कोई पूर्वसूचना दिये बंद घोषित कर दिया है. पिछले दशक में अधिकारियों ने 15 कर्मचारियों की छटनी की है तथा बहुत से कर्मचारियों को मुअत्तिल किया और कई का तबादला किया. जब कर्मचारियों ने संग्रहालय को सी एस आई आर से अलग करने के निर्णय का विरोध किया तो 27-28 दिसंबर को सात और कर्मचारियों को अधिकारियों ने मुअत्तिल कर दिया.

इस भड़कावे की परवाह न करते हुए कर्मचारी इस गैर कानूनी बंद के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं.

बिरला के केसोराम मिल में तालाबंदी

कलकत्ता में मेटियाब्रुज के केसोराम काटन मिल के व्यवस्थापकों ने 13 जनवरी से फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी है. पिछले कुछ समय से रंग विभाग के कर्मचारी एक कर्मचारी की गैरकानूनी तौर पर वेतन रोके जाने के कारण आंदोलन कर रहे थे. वह कर्मचारी वैधकीय अधिकारियों द्वारा योग्य घोषित करने पर ही काम पर हाजिर हुआ था.

इस तालाबंदी के फलस्वरूप फैक्ट्री के 10,000 कर्मचारी अपने रोजगार से वंचित हो गये हैं. कर्मचारियों को यह आशंका है कि यह चालबाजी फैक्ट्री में स्वयंचालित यंत्रों का उपयोग करने और मजदूरों की छटनी करने की पूर्व तैयारी है. वामपंथी ट्रेड यूनियनें बिरला मैनेजमेंट के इस हमले के खिलाफ एकजुट आंदोलन की योजना बना रही हैं.

खाद फैक्ट्री में जीत...

[पृष्ठ चार से आगे]

12 दिन की इस हड़ताल के कारण किसी मजदूर को विक्टमाइज नहीं किया जाएगा. मालिकों की हठधर्मी के कारण कारखाने को लगभग 2.64 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है.

इस भारी जीत से मजदूरों में उत्साह की लहर दौड़ गई है. 23 दिसंबर को एक भारी जुलूस निकाला गया जो 6 किलोमीटर का फासला तय करता हुआ सीटू दफ्तर के सामने एक आम सभा के रूप में समाप्त हुआ. यूनियन के सचिव का० हरीश बागी तथा अन्य नेताओं सर्वश्री धानी, गाबरी व राजकुमार प्रधान ने मजदूरों को इस जीत के लिए मुबारकबाद दी. इस अवसर पर हरियाणा के युवा नेता पृथ्वी सिंह भी उपस्थित थे जिन्होंने मजदूरों से संघर्ष को तेज व व्यापक बनाने का आह्वान किया.

केरल विधानसभा में सीटू के नेता

जनवरी में केरल विधान सभा के लिए हुए चुनाव में नीचे दिए गए सीटू के नेता चुने गए हैं :

1. एन. कृष्णन नायर
2. सी.पी. करूणाकरन पिल्लै
3. वी.एस. चंद्रशेखर पिल्लै
4. सी.बी.सी. वारियर
5. पी.आर. शिवन
6. सी. वसुदेव मेनन
7. आई.एन. चंद्रशेखर कुरूप
8. पी.पी. एस्थोज़े
9. के. अनिरूद्धन
10. के.एम. अब्राहम
11. ए.पी. कुरयान
12. एम.के. कन्नन
13. जी. वारादन
14. सी.पी. मूसनकुट्टी

कामगार महिला कमेटी की मांग

कामगार महिला कोआर्डिनेशन कमेटी, मद्रास, का एक 9–सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हाल ही में श्रम आयुक्त से, 30 मई, 1979 को दिए गए स्मरण-पत्र के बारे में उठाए गए कदमों का पता लगाने के लिए मिला. उनको बताया गया कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में सरकार केवल जगह दे सकती है और बाकी प्रबंध कर्मचारियों को ही करना होगा. इसका मतलब है कि कोई प्राइवेट एजेंसी इसे चलाएगी. जैसा कि अक्सर होता है, कम वेतन पाने वालों को यह काफी महंगा पड़ेगा.

महिलाओं के लिए अधिक रोजगार का प्रबंध करने की मांग के बारे में राज्य सरकार ने एक 4-महिला-सदस्यीय कमेटी, मांग की ओर इशारा किए बिना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का अध्ययन करने के लिए बनाई है.

इसके अलावा, समान वेतन कानून के तहत तमिलनाडु में महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के प्रबंध का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार कमेटी भी बनाई गई है. इसमें मैथिली शिवरमण सीटू की प्रतिनिधि हैं.

इसी दौरान कामगार महिला को-आर्डिनेशन कमेटी, मद्रास, ने नालंदा नर्सेज होस्टल, बिहार, की एक नर्स-कुमारी टी. सी. मेरी की हत्या की कड़ी निंदा की है. कालेज अस्पताल के प्रशासन और बिहार के मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कमेटी ने मांग की है कि होस्टल की अन्य नर्सों की सारी मांगें तुरंत मानी जाएं और सुरक्षा का उचित प्रबंध किया जाए ताकि ऐसी घटना फिर न हो.

ब्रिटिश इस्पात कर्मचारियों की लगातार हड़ताल

राज्य अधिकृत ब्रिटिश स्टील कार्पोरेशन के एक लाख पचास हजार इस्पात कर्मचारी 2 जनवरी से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं. 1926 के बाद ब्रिटिश-इस्पात कर्मचारियों की यह पहली राष्ट्रीय हड़ताल है.

कर्मचारी वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. कंपनी ने पहले 2% वृद्धि की पेशकश की और बाद में इसे 6% कर दिया और साथ में उत्पादन से जुड़ा बोनस देने का प्रस्ताव रखा. इस्पात संगठनों ने हाल ही में हुई कोयला खदान मजदूरों की 20% और फोर्ड कर्मचारियों की 21% वृद्धि सहित अन्य वेतन-वृद्धि समझौते के आधार पर 20% वृद्धि की मांग की. ऐसे समय में जब ब्रिटेन में 17% मुद्रास्फीति है 6% वृद्धि के प्रस्ताव को ठुकरा कर इस्पात कर्मचारियों ने हड़ताल की.

सीटू ने ब्रिटिश इस्पात कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए एकजुट हो कर संघर्ष करने के लिए बधाई दी है और सीटू तथा भारतीय मजदूर वर्ग की ब्रिटिश इस्पात कर्मचारियों से एक-जुटता व्यक्त की है.

भारत-चीन सीमा पर कर्मचारियों की गिरफ्तारियां

विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि भारत-चीन सीमा के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित तेजपुर में बार्डर रोड आर्गे-नाइजेशन से संबंधित जनरल इंजीनियरिंग फोर्स के कर्मचारी दिसंबर के मध्य से हड़ताल पर हैं, ये शिपिंग और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के अधीन हैं. यहां पर, फोर्स के इस्टर्न बेस वर्कशाप में 500 से अधिक लोग काम करते हैं.

इस रिपोर्ट के मुताबिक एक झगड़े के बाद 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. इसके तुरन्त बाद, 15 दिसंबर को वर्कशाप के सभी कर्मचारियों ने चीफ-इन चार्ज से गिरफ्तार कर्मचारियों को रिहा करने का अनुरोध किया. लेकिन यह समझा जाता है कि इसके बदले चीफ ने सेना बुलाकर इन कर्मचारियों को भी गिरफ्तार करवा लिया है. बताया जाता है कि ये कर्मचारी तेजपुर के निकट मास्सारी में हिरासत में रखे गए हैं और यह समझा जाता है कि न तो उन्हें रिहा किया गया है और न ही उन्हें कोई चार्जशीट दी गई है. इन गिरफ्तार लोगों के साथ किया जाने वाला बर्ताव भी संतोषजनक नहीं है.

दि वर्किंग क्लास

सी. आई. टी. यू. का अंग्रेजी मासिक

वार्षिक चंदा	छः रुपये
एक प्रति	50 पैसे

मिलने का पता—

सी. आई. टी. यू. कार्यालय
6 ताल कटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001

भारत में आसमान छूती बेरोजगारी

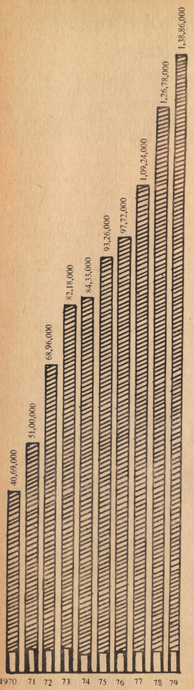

बेरोजगारों की सख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. यह 1951 में 3 लाख 29 हजार थी जो 1974 के अंत तक 84 लाख 33 हजार हो गई. जिस समय जनता पार्टी ने शासन संभाला उस समय यह संख्या एक करोड़ को पार कर गई थी. सरकारी आंकड़े जुलाई 1979 तक ही उपलब्ध हैं जिसके अनुसार यह सख्या एक करोड़ 38 लाख 86 हजार है.

जहां बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है वहां दी गई नौकरियों की सख्या स्थिर है. चित्र में रेखांकित क्षेत्र बेरोजगारों की संख्या दर्शाता है. ये आंकड़े रोजगार केंद्रों से उपलब्ध हैं और गैर रेखांकित क्षेत्र (सफेद) वर्ष में दी गई नौकरियों की संख्या है.

भारत में आसमान छूती बेरोजगारी तथा सरकार के इसे रोकने के कोई सक्त कदम न होने के कारण, जब तक किसी के रोजगार पाने का नंबर आएगा तब तक वह संभवतः सामान्य रिटायरमैंट की उमर से पार निकल गया होगा. बेरोजगारी की समस्या भूमि और आर्थिक संबंधों में बुनियादी बदलाव किए बिना हल नहीं की जा सकती. कोई भी सत्ताधारी बुर्जुवा-जमींदार पार्टी ऐसे बुनियादी बदलाव नहीं लाएगी. यह केवल समाजवादी देशों में संभव है.

महंगाई के आंकड़े

इस महीने ये आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं. श्रम मत्रालय के सूत्रों से पता चला है कि उन्हें भी ये आंकड़े अभी नहीं मिले है. लेकिन अक्तूबर 1979 महीने का आल इंडिया इंडेक्स 368 है.

यूरोपीय देशों में बेरोजगार महिलाओं की संख्या

(1978 का औसत)

	पंजीकृत बेरोजगार महिलाएं (हजारों में)	महिलाएं सभी पंजीकृत बेरोजगारों का प्रतिशत	श्रमिक जनता के प्रतिशत के तौर पर कुल पंजीकृत बेरोजगार	महिला श्रमिक जनता के प्रतिशत के तौर पर महिला बेरोजगार
पश्चिम जर्मनी	992·9	50·8	3·9	5·1
फ्रांस	1166·9	52·7	5·3	7·3
इटली	1523·3	41·4	7·1	9·1
नीदरलैंड्स	205 6	33·7	4·3	5·1
बेलजियम	333·4	60·3	8 4	13·9
लक्जमबर्ग	1·166	43·5	0.8	1·2
इंग्लैंड	1475 0	29·5	5·7	4·3
आयरलैंड	100·8	20·6	8·9	6·5
डेनमार्क	169·8	45·2	6·7	7 0

रेल कर्मचारियों के संघर्षरत कदम

मोरादाबाद डिविजन के रेलवे मजदूरों के सभी तबके संगठित होकर अपनी स्थानीय मांगों को हासिल करने के लिये अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. 30 अक्तूबर को सिगनल तथा टेली-कम्युनिकेशन विभाग के कर्मचारी डिविजनल मैनेजर के पास सामूहिक डेप्युटेशन लेकर पहुंचे. डिविजनल मैनेजर ने पहले तो उसको अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका नेतृत्व आल इंडिया एस एंड टी स्टाफ ऐसोसिएशन कर रही थी जिसे अभी तथाकथित मान्यता प्राप्त नहीं है. मजदूर अपने निश्चय पर डटे रहे, और अधिकारियों ने पुलिस की सहायता मांगी. लेकिन जब पुलिस को यह पता चला कि मजदूर अपना ज्ञापन देने आये हैं तो उन्होंने डिविजनल मैनेजर को वह मांग-पत्र लेने के लिये कहा.

उसी दिन आल इंडिया इंजीनियरिंग स्टाफ एसोसिएशन के नेतृत्व में एन. बी. डी. के गैंगमैनों के आंदोलन का फैसला हुआ और उनकी दो बदमाश तथा भ्रष्ट मजदूरों के तबादले की मांग अधिकारियों ने स्वीकार कर ली.

13 दिसंबर को मोरादाबाद के बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों ने आल इंडिया इलेक्ट्रिक स्टाफ एसोसिएशन के नेतृत्व में टूल डाउन किया. यह श्री के एस कुंडू चार्जमैन का बतौर सजा तबादला किये जाने के विरोध में किया गया था. अधिकारियों ने बातचीत करने तथा मसले को हल करने से इंकार कर दिया. इसलिये 12 बजे लोकोशेड स्टाफ तथा रनिंग स्टाफ भी अपनी एकता प्रकट करने के लिए आंदोलन में शामिल हो गये.

अधिकारियों ने लगातार 3 घंटे मजदूर आंदोलन तोड़ने की कोशिश की. लेकिन इसमें कामयाबी हासिल न होने पर 3 बजे मसला हल हुआ और तबादला रद्द कर दिया गया.

ईस्टर्न रेलवे के रामपुरहाट के गार्डों ने भी अंदल क्षेत्र में सुरक्षा की मांग करते हुए आंदोलन किया. 6 दिसंबर 1979 को कई घंटों तक काम बंद रहा और काम तभी शुरू हुआ जब अधिकारियों ने यह मांग मंजूर की कि सुरक्षा का प्रबंध किया जायगा और यदि सुरक्षा सिपाही नहीं दिया जा सकेगा तो गार्ड बुक नहीं किया जायेगा.

सियालदाह के गुड्स क्लर्कों ने भी रिक्त स्थानों पर नियुक्ति नहीं करने के खिलाफ व्यापारियों को सस्ती दरों पर वैगन उपलब्ध कराने के लिये सियालदाह के लिये वैगनों का विभाजन करने के कारण कार्यभार में वृद्धि के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया. जब संघर्ष ने जोर पकड़ा तो अधिकारियों ने समझौता करके रिक्त स्थानों को भरना, तथा हावड़ा के लिये बुक हुई वैगनों को सियालदाह न भेजना मंजूर किया.

धनबाद और सियालदाह में डी आर एम एस के सामने 20 दिसंबर को कर्मचारियों ने विक्टिमाइजेशन के विरोध में रेलवे एंप्लाईज कनफेडरेशन के नेतृत्व में मजदूरों के कथन पर ईस्टर्न रेलवेमेन्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने दमन का मामला जनरल मैनेजर के सामने उठाया. जनरल मैनेजर से ए. आई. आर. ई. सी. तथा ई. आर. एम. यू. के नेतृत्व ने इकट्ठे बातचीत की.

सिकंदराबाद डिविजन के लोको रनिंग स्टाफ ने 29 नवंबर को यूनियन की एकता तोड़ने के लिये पक्षपात की नीति से मजदूरों को अतिरिक्त सुविधायें देने के खिलाफ काम बंद कर दिया.

जोनल एल. आर. एस. ए. के हस्तक्षेप के कारण समस्या हल हुई तथा काम शुरू हुआ. स्विचमेन काउंसिल ने डी. आर. एम. विजयवाड़ा के कार्यालय के सामने 21 जनवरी को धरना आयोजित किया. यह रेल मंत्री द्वारा दिये गये पुराने आश्वासनों को पूरा करने के लिए आयोजित किया गया था.

ईस्टर्न रेलवे के ट्रैक्शन कर्मचारियों ने सुरक्षा सप्ताह मनाया

ईस्टर्न रेलवे ट्रैक्शन वर्कर्स एसोसिएशन के आह्वान पर कर्मचारियों ने 3 से 10 दिसंबर तक सुरक्षा सप्ताह मनाया. कर्मचारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इंडियन ट्रैक्शन मेन्युअल के मातहत निर्देशित यंत्रों को जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक वे ब्रेक डाउन कार्य नहीं करेंगे. अधिकारियों ने कर्मचारियों पर वेतन कटौती थोप कर डराने की कोशिश की. जिसके खिलाफ एक दिन के लिए वेतन का बहिष्कार किया गया. एसोसियेशन ने यह नरम तरीका इसलिए अपनाया ताकि यात्रियों को असुविधा न हो. इस दौरान कोई बड़ा ब्रेक डाउन न होने के कारण कोई गंभीर समस्या खड़ी नहीं हुई. लेकिन कर्मचारी जनता और अधिकारियों का ध्यान सुरक्षा समस्याओं की ओर आकर्षित करने में कामयाब रहे और उन्होंने इस आंदोलन के पीछे अपनी एकजुट ताकत का भी प्रदर्शन किया.

कोयला तथा राख हैंडलिंग मजदूरों का आंदोलन

हर साल ठेके के नवीनीकरण के समय 10-15 साल से कार्यरत कोल और एश हैंडलिंग मजदूरों को हटाने की कोशिश की जाती है. रामपुरहाट (ईस्टर्न रेलवे) में 53 कोयला मजदूरों को नये ठेकेदार ने निकाल दिया. वह 7 दिसंबर 1979 को लोको शेड में गुंडों को साथ लेकर नये मजदूर लाया था. मजदूर इस कार्यवाही से चौंक तो गये लेकिन अपना प्रदर्शन जारी रखा. रामपुरहाट एन. सी. सी. आर. एस. भी उनकी समस्या को समझकर आंदो-में शरीक हो गई. 17 दिसंबर को ठेकेदार के गुंडों ने एक लोको मैकेनि-

[शेष पृष्ठ पंद्रह पर]

युनिवर्सिटी के कर्मचारियों की मांग

पूरे देश में युनिवर्सिटी और कालेज कर्मचारियों ने मांग की है कि उनकी सेवाएं देश में औद्योगिक विधान के तहत मानी जाएं. पिछले नौ वर्षों से यह मांग विचाराधीन है.

प्रधान मंत्री को दिए गए ज्ञापन में दिल्ली युनिवर्सिटी एंड कालेज एंप्लाईज यूनियन के संयुक्त सचिव और आल इंडिया कनफेडरेशन आफ युनिवर्सिटी एंप्लाईज के एक्जीक्यूटिव सदस्य इंद्रदत्त ने कहा है कि डा. गजेन्द्र गडकर के नेतृत्व में नेशनल कमीशन आन लेबर ने भी इसकी सिफारिश की थी. संसद की पेटीशन कमेटी ने भी इस बात की तरफदारी की है. इन साफ सिफारिशों के बावजूद श्रीमती गांधी के इमरजेंसी निजाम तथा मोरारजी देसाई की जनता सरकार ने इस मांग को नहीं माना.

आल इंडिया कनफेडरेशन आफ युनिवर्सिटी एंप्लाईज ने मांग की है कि इस देश में शिक्षा के ढांचे पर हावी निजी और पूंजीपति स्वार्थों के पंजे से छुटकारा दिलाने के लिए कर्मचारियों की कम से कम बुनियादी मांगों को तुरन्त मान लेना चाहिए. इसके अलावा उनकी मांगें हैं : समूचे देश में समान सेवा शर्तें, जरूरत पर आधारित न्यूनतम वेतन के सिद्धांत पर वेतनमान और महंगाई के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता, 30 प्रतिशत मकान किराया भत्ता, युनिवर्सिटी की महत्वपूर्ण कमेटियों में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, बोनस और युनिवर्सिटी के ढांचे का जनवादीकरण.

कामानी इंजीनियरिंग मजदूरों का संघर्ष

कानपुर, 15 दिसंबर : कामानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, कानपुर के प्रबंधकों की, मजदूर-विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश सीटू के महासचिव दौलत राम तथा कामानी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन (सीटू) के महासचिव अच्युतन ने एक संयुक्त बयान में, प्रबंधकों द्वारा, यूनियन के साथ तुरंत जायज समझौता करवाने की तथा मजदूरों पर मुअत्तिली के आदेश वापस लेने की मांग की है.

इससे पहले, यूनियन ने, सितंबर में प्रबंधकों को एक मांग-पत्र दिया था जिसमे महंगाई भत्ता, पी. एफ. की सुविधाएं, राज्य बीमा, मकान किराया भत्ता, फील्ड अलाउंस, यात्रा-भत्ता, सभी मजदूरों का मस्टर रोल में नामांकन, सभी अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करना तथा कर्मचारियों के विरुद्ध थोपी गई चार्जशीट तथा गैरकानूनी ढंग से की गई मुअत्तिली को तुरंत वापस लेना आदि मांगें शामिल हैं. लेकिन प्रबंधकों ने मामले को यूनियन के साथ जायज तरीके से हल करने की बजाय मजदूरों को परेशान करना शुरू कर दिया और 10 नवंबर को कानपुर-मिरजापुर 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन पर काम करने वाले 15 मजदूरों को मुअत्तिल कर दिया.

इसकी सब जानकारी श्रम-विभाग को समय-समय पर दी गई. लेकिन वहां भी इस मसले को अनदेखा कर दिया गया. श्रम-विभाग के साथ मेल-जोल के कारण प्रबंधक अदालत में पड़े इन मामलों में जानबूझ कर देरी करवा रहे हैं जिससे मजदूरों का हौसला टूटे और वे अपनी जायज मांगों और अधिकारों को हासिल न कर सकें.

'भेल' प्रबंधकों की मजदूर-विरोधी नीति

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ('भेल') में यूनियन के कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है और यूनियन की गतिविधियों को दबाने की कोशिश की जा रही हैं. उदाहरण के लिए, 'भेल' कामगार ट्रेड यूनियन (सीटू), भोपाल के उपाध्यक्ष पर प्रबंधकों ने एक झूठा केस थोपा था. किंतु इस मामले पर बैठाई गई जांच कमेटी ने उन्हें निर्दोष करार दे दिया और केस वापस लेने का आदेश दिया. जांच कमेटी के इस निर्णय के बावजूद 'भेल' के प्रबंधक इस साथी के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार बनाए हुए हैं और उन्होंने उसे तंग करने के लिए एक और जांच कमेटी का गठन किया है. प्रबंधकों का असली इरादा इस साथी की जायज यूनियन गतिविधियों पर अंकुश लगाना है. प्रबंधकों के इस रुख से मजदूरों में गुस्सा भर रहा है और वे 'भेल' प्रबंधकों के खिलाफ विरोध की आवाज उठा रहे हैं.

मजदूरों की भर्ती में धांधली

पश्चिम चिरमिरी कोलियरी, सरगुजा, के प्रबंधकों द्वारा नौकरी देने में अनियमितताओं व उनके पक्षपात-पूर्ण रवैये के कारण मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आए दिन नई भर्तियां मनमाने ढंग से की जाती हैं जबकि पुराने मजदूर, जो पहले भी कोलियरी में काम कर चुके हैं और प्रबंधकों की सूची पर हैं, भर्ती नहीं किए जा रहे हैं. ऐसे अनेक मजदूरों, जिनके मां-बाप कोलियरी से अवकाश प्राप्त हैं, या किसी दुर्घटना के शिकार होकर विकलांग हो गए हैं अथवा मर गए हैं, को नौकरी देने में कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है.

मजदूरों की भर्ती में धांधली करने में मनेन्द्रगढ़ रोजगार कार्यालय भी प्रबंधकों की मदद कर रहा है. यह सीनियर जूनियर का ख्याल रखे बिना नए और गैर पंजीकृत लोगों के नाम प्रबंधकों के पास भेजता है.

इसके अलावा अपने पक्ष के लोगों को गलत तरीके से ज्यादा हाजिरी दिखा कर काम दिया जाता है जबकि एक साल की हाजिरी जरूरी है. अक्सर प्रबंधक अपने पक्ष के लोगों को बदली मजदूर व कैजुअल मजदूर के तौर पर सीधी भर्ती करते हैं और बाद में ज्यादा हाजिरी दिखाकर स्थायी कर देते हैं. ऐसे अनेक मजदूर मौजूद हैं. जिन्होंने वर्षों कोलियरी में काम किया है या जो प्राथमिकता के अधिकारी हैं और जिन्होंने कई बार

इंटरव्यू भी दिया है लेकिन उनको आज तक काम नहीं दिया गया है.

कोयला श्रमिक संघ (सीटू) ने प्रबंधकों, लेबर कमिश्नर व अन्य अधिकारियों से इस बारे में जांच पड़ताल व उचित फैसले की मांग की थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है. यूनियन द्वारा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को हाल ही में लिखे गए एक पत्र में मजदूरों की भर्ती में अनियमितताओं व पक्षपात के खिलाफ रोष जाहिर किया गया है और जांच पड़ताल शीघ्र करने की मांग की गई है. नहीं तो पश्चिम चिरमिरी कोयला मजदूरों को हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ेगा.

पोलीस्टील मजदूरों का संघर्ष जारी

हरियाणा कनकास्ट लिमिटेड में पिछले काफी समय से औद्योगिक अशांति का वातावरण बना हुआ है और ये कंपनी लगातार घाटे पर चल रही है. कंपनी की चौथी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इसे दो करोड से भी अधिक घाटा हुआ है. मंडी में इस्पात के ऊंचे मूल्य होने के बावजूद यदि कंपनी घाटा दिखा रही है तो इसका कारण कंपनी का त्रुटिपूर्ण प्रबंध व मजदूरों को विक्टिमाइज करने की इसकी नीति है.

हरियाणा पोलीस्टील वर्कर्ज यूनियन (सीटू) ने अप्रैल 1979 को एक मांगपत्र दिया था. इस मांगपत्र की एक भी मांग को सहानुभूतिपूर्वक जांचने के बजाय प्रबंधकों ने यूनियन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ दमनचक्र चलाया. मजदूरों के खिलाफ 60 से भी अधिक झूठे केस स्थानीय पुलिस दफ्तर में दर्ज किए गए. जायज कारणों के बिना ही प्रबंधकों ने कई मजदूरों को निलंबित कर दिया और कई को नौकरी से ही निकाल दिया. प्रबंधकों के इस दमनकारी रवैये से कंपनी में औद्योगिक अशांति फैल गई. मजदूरों का एक सुझाव जिसके अनुसार 30 लाख रुपये प्रति वर्ष बचत हो सकती थी ठुकरा दिया गया. प्रबंधकों का असली इरादा तो यह है कि सभी मजदूरों को एक-एक करके नौकरी से निकाल दिया जाए.

कंपनी के मजदूर पिछले काफी समय से सघर्ष की राह पर हैं. उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में कंपनी के कार्यालय के सामने धरना आरंभ कर दिया है. मजदूरों की मांगों में मुख्य हैं कि पुलिस केस वापिस ले लिए जाएं व विक्टिमाइजेशन समाप्त हो.

तमिलनाडु के संक्षिप्त समाचार

* उत्तरी अर्काट जिले में हजारों बीड़ी मजदूर 10 दिसंबर से भूख हड़ताल पर गए. उनकी मांगों में वेतन-वृद्धि, बोनस, 6 दिन का सप्ताह तथा नौकरी की सुरक्षा शामिल थी.

* मदुरई में 12 दिसंबर को बिक्री कर व आयकर दफ्तरों में काम करने वाले 4,000 केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों ने बोनस की मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया. एक आम सभा भी हुई जिसमें बोनस के बारे में प्रस्ताव पास किया गया.

* 7 दिसंबर को विद्युत बोर्ड कर्मचारियों ने राज्यव्यापी प्रदर्शन किया. उनकी मांगों में चिकित्सा, सुरक्षा (रिस्क), बच्चों की शिक्षा, प्रसूति छुट्टी आदि मांगे प्रमुख हैं. उन्होंने बिजली उद्योग में काम करने वाले सभी यूनियनों से अनुरोध किया कि वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक हो जाएं.

* जनरल पोस्ट आफिस (मद्रास) के पांच सौ कर्मचारियों ने 21 दिसंबर को बोनस की मांग के समर्थन में सांकेतिक हड़ताल की. के. एम. हरिभट्ट के अतिरिक्त अन्य कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने आम सभा में भाषण दिए.

* सेशसाई पेपर मिल्ज (इरोड) में 125 दिनों से चली आ रही हड़ताल 29 दिसंबर को सफलतापूर्वक समाप्त हुई. फैसले से मजदूरों को काफी लाभ हुआ है.

अफीम की फैक्ट्री में हड़ताल समाप्त

गवर्नमैंट ओपियम एंड एल्कलाइड फैक्ट्री के मजदूरों ने प्रबंधकों तथा मजदूर प्रतिनिधियों के बीच 11 जनवरी को हुए समझौते के बाद अपनी 40 दिन पुरानी हड़ताल वापिस ले ली है. मजदूर अपनी मांगों के समर्थन में 3 दिसंबर से हड़ताल पर थे. समझौते के अनुसार प्रबंधक 25 अक्तूबर 1979 वाले फैसले को लागू करवाने के लिए उच्चाधिकारियों को लिखेंगे. हड़ताल की अवधि के बारे में फैसला बाद में होगा. हड़ताल में भाग लेने वालों को विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा.

रेल समाचार

[पृष्ठ तेरह से आगे]

कल स्टाफ के साथ हाथापाई भी की. जिसका जवाब मजदूरों ने टूल डाउन से दिया. इसका साथ रेलवे विभाग के अन्य मजदूरों ने भी आंदोलन में शरीक होकर दिया.

जब इसके कारण रेल सेवाएं बंद हो गयी तब डी. एम. ई. (पावर) रामपुरहाट आये तथा एक समझौता हुआ जिससे सभी छटनी किये गए कोल कर्मचारियों को पिछले वेतन सहित वापस लिया गया.

इसी प्रकार की घटना बदरपुर (एन. एफ. आर) में हुई. पुराने मजदूर कोयले के स्टाक पर बैठ गए तथा उन्होंने नये मजदूरों को कार्य शुरू करने नहीं दिया. अधिकारियों ने समझौता करने के बजाय रेल सेवाएं रद्द करके यात्रियों को मजदूरों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की. सीटू के कोषाध्यक्ष समर मुखर्जी एम. पी. यह मामला रेलवे मंत्री के साथ उठा रहे हैं.

पत्र व्यवहार करते समय कृपया अपना पूरा पता लिखें.

—मैनेजर

सीटू की ओर से खंडन

2 जनवरी को गाजियाबाद के ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ता श्री एन. सी. पाल की हत्या के सिलसिले में छपी भ्रामक खबरों का सीटू खंडन करती है. पिछले वर्ष निकाल दिये जाने के कारण उनका सीटू से कोई संबंध नहीं था. सीटू उम्मीद करती है कि पुलिस वास्तविक अपराधी को तलाश करने में सफल रहेगी.

तथाकथित सीटू को-आर्डिनेशन कमेटी गाजियाबाद तथा श्री घनश्याम सिन्हा द्वारा दिये गये शरारतपूर्ण वक्तव्यों से सीटू का कोई संबंध नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण इस व्यक्ति को भी संगठन से निकाला जा चुका है. उक्त वक्तव्य संगठन को बदनाम करने तथा जनता में भ्रम फैलाने के उद्देश्य से जारी किये गये हैं.

सीटू इस संबंध में लगाये गये आरोपों का खंडन करते हुए जिला अधिकारियों से मांग करती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करके हत्या के वास्तविक इरादे और हत्यारे का पता लगाया जाय.

ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत करें

औरंगाबाद 4 जनवरी 1980 कर्मचारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने कहा कि "केवल बलिदान ही क्रांतिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं है. कुर्बानी की भावना के साथ मार्क्सवाद-लेनिनवाद की सच्ची क्रांतिकारी विचारधारा का होना भी लाजिमी है".

"यह बहुत जरूरी है कि एक ओर वर्ग और जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा जाय तथा दूसरी ओर मजदूरों-किसानों की एकजुटता को आगे बढ़ाया जाय."

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने स्पष्ट किया कि ट्रेड यूनियनों को यदि "वेतन" और "बोनस" बढ़ाने के लिए सौदे-बाजी की "दूकानें" बना दिया जायगा तो इनका क्रांतिकारी चरित्र और वास्तविक मकसद खत्म हो जायगा.

उन्होंने "सीटू" के क्रांतिकारी उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि किस प्रकार सीटू देश के मेहनतकश अवाम के लिए संघर्षरत है.

का. रणदिवे ने "वर्ग आणी जाति" (वर्ग और जाति) नामक पुस्तक का विमोचन भी किया. इस पुस्तक में बी. टी. रणदिवे तथा ई. एम. एस. नंबूदिरिपाद के निबंध संकलित हैं.

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

निरेन घोष — सुधिन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

हैदराबाद एच. एस. सी. एल. के मजदूर निलंबित

हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, हैदराबाद के प्रबंधकों ने गैरकानूनी तरीके से 14 मजदूरों व ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को 3 जनवरी 1980 से निलंबित कर दिया है. उनके खिलाफ कई झूठे मुकदमे भी दायर किए गए हैं.

याद रहे कि 2 जनवरी को एच. एस. सी. एल. के प्रबंधकों व एच. एस. सी. एल. एंप्लाईज यूनियन (सीटू) की बातचीत चल रही थी. यह बातचीत 3 जनवरी की सुबह तक चली. जब प्रातः डेढ़ बजे मजदूर मीटिंग से बाहर आए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पुलिस का एक विशाल दस्ता बाहर खड़ा है. बिना किसी उत्तेजना के पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और दो किलोमीटर दूर तक उनका पीछा किया. पुलिस ने कई मजदूरों को गिरफ्तार भी कर लिया जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया. इसके बाद उन मजदूरों को निलंबित कर दिया गया और उनको दफ्तर की परिधि तक में आने की मनाही कर दी. मजदूर इन दमनकारी तरीकों का विरोध कर रहे हैं.

एजेंटों और वार्षिक ग्राहकों से

एजेंटों से निवेदन है कि वे हर महीने बिल चुकता करें. ऐसा न करने से सीटू मजदूर के प्रबंध में हमें काफी दिक्कतें आती हैं इसके अलावा मनीआर्डर भेजते समय उसके नीचे की स्लिप, जो संदेश के लिए होती है, पर भी अपना पूरा पता लिखें.

वार्षिक ग्राहक छः रुपये मनीआर्डर द्वारा भेजकर अपने वार्षिक चंदे का नवीकरण करा लें.

—मैनेजर

सीटू का नया प्रकाशन

सभी ट्रेड यूनियनों के लिए जरूरी

(अंग्रेजी में)

यूनिवर्सल डिक्लेयरेशन आफ ट्रेड यूनियन राइटस

वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस की प्राग (अप्रैल 16-23, 1978) में हुई नवीं कांग्रेस में पारित

मूल्य : 70 पैसे

मिलने का पता:

सीटू केंद्र
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001
फोन : 384071

और

नेशनल बुक एजेंसी (प्रा.) लि.
2, सूर्य सेन स्ट्रीट,
कलकत्ता-700013

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 97-98, डीएसआईडीसी कम्पलैक्स, ओखला, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित